छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

–::संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन ::–

क्रमांक एफ 1–54/राजस्व/राहत/2019 नवा रायपुर, दिनांक 12/08/2022

भारत सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नई दिल्ली के पत्र क्रं. 1–18/2017–PP दिनांक 25/02/2019 एवं पत्र क्रं. 1–5/2018–PP (vol.ii) दिनांक 29/05/2020 में निहित प्रावधान अनुसार राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण Sendai Framework for Disaster Risk Reduction के क्रियान्वयन हेतु पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त योजना के अंतर्गत निम्नांकित संविदा पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक **24.08.2022** तक आमंत्रित किया जाता है।

2/ पदों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्रं0	पद का नाम	पदों की संख्या	निश्चित वेतन
1	वरिष्ठ सलाहकार (संविदा), राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	1	1,00,000 रूपये प्रति माह
2	सलाहकार (संविदा), जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला महासमुंद	1	70,000 रूपये प्रति माह
3	सलाहकार (संविदा), जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला कोरबा	1	70,000 रूपये प्रति माह
4	सलाहकार (संविदा), जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला राजनांदगांव	1	70,000 रूपये प्रति माह
5	सलाहकार (संविदा), जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला बस्तर	1	70,000 रूपये प्रति माह
6	सलाहकार (संविदा), जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला सुकमा	1	70,000 रूपये प्रति माह
7	सलाहकार (संविदा), जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला कांकेर	1	70,000 रूपये प्रति माह
8	सलाहकार (संविदा), जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला दंतेवाड़ा	1	70,000 रूपये प्रति माह

9	सलाहकार (संविदा), जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला कोण्डागांव	1	70,000 रूपये प्रति माह
10	सलाहकार (संविदा), जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला नारायणपुर	1	70,000 रूपये प्रति माह
11	सलाहकार (संविदा), जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला बीजापुर	1	70,000 रूपये प्रति माह
योग		11	

3/ शैक्षणिक योग्यता :–

1. वरिष्ठ सलाहकार (संविदा), राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण –
किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री (आपदा प्रबंधन, सामाजिक कार्य, समाज शास्त्र, भूगोल, कृषि, वास्तुकला, इंजीनियरिंग, शहरी नियोजन आदि को प्राथमिकता)

2. सलाहकार (संविदा), जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण –
किसी भी विषय में स्नात्कोत्तर डिग्री (आपदा प्रबंधन, सामाजिक कार्य, समाज शास्त्र, भूगोल, कृषि, वास्तुकला, इंजीनियरिंग, शहरी नियोजन आदि को प्राथमिकता)

4/ कार्य अनुभव :–

1. **वरिष्ठ सलाहकार (संविदा), राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण –**
   a. आपदा प्रबंधन से संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है।
   b. संबंधित क्षेत्र में **मास्टर ऑफ फिलॉसफी (M. Phil)** की डिग्री रखने वाले उम्मीद्वार के लिये न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है ।
   c. संबंधित क्षेत्र में **पी.एच.डी.** की डिग्री रखने वाले उम्मीद्वार के लिये न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है ।

2. **सलाहकार (संविदा), जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण –**
   a. आपदा प्रबंधन से संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है।
   b. संबंधित क्षेत्र में पी.एच.डी. की डिग्री रखने वाले उम्मीद्वार के लिये न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है ।

5/ आयु–सीमा :– सलाहकार के पदों के उम्मीदवार की आयु दिनांक 01.01.2022 को 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

6/ **आवेदन** : – प्रत्येक पद हेतु पृथक–पृथक आवेदन निम्नलिखित लिंक पर ऑनलाईन ही स्वीकार किये जायेंगें :–

क्रं0	पद का नाम	लिंक
1	**वरिष्ठ सलाहकार (संविदा), राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण**	https://forms.gle/GsMEoCVuRqi4VGNk6
2	**सलाहकार (संविदा), जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला महासमुंद**	https://forms.gle/E5835XyzfpDFQPC27
3	**सलाहकार (संविदा), जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला कोरबा**	https://forms.gle/zCkDz6b6xVtdbqER8
4	**सलाहकार (संविदा), जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला राजनांदगांव**	https://forms.gle/CtPoT8654soJxHiQ9
5	**सलाहकार (संविदा), जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला बस्तर**	https://forms.gle/pN6BDSKo8f9yDXGJA
6	**सलाहकार (संविदा), जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला सुकमा**	https://forms.gle/4QfzMXrJReBdCfms9
7	**सलाहकार (संविदा), जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला कांकेर**	https://forms.gle/6KvfdgDzJ4cJyEjd8
8	**सलाहकार (संविदा), जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला दंतेवाड़ा**	https://forms.gle/G1UhDftvKM4k1Qpf8
9	**सलाहकार (संविदा), जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला कोण्डागांव**	https://forms.gle/914rrrfhNf4dnQSX8
10	**सलाहकार (संविदा), जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला नारायणपुर**	https://forms.gle/NPKycVhKTnPGotDN8
11	**सलाहकार (संविदा), जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला बीजापुर**	https://forms.gle/GXWh3zSqJyBx69vdA

7/ **चयन** :– सलाहकार के पदों के लिये मेरिट का निर्धारण स्नातकोत्तर में अर्जित प्रतिशत के आधार पर किया जाएगा। मेरिट के आधार पर प्रत्येक पद के विरूद्ध 10 पात्र उम्मीदवारों की सूची तैयार की जाएगी एवं दिनांक 25.08.2022 को विभाग की वेबसाईट **http://sdma.cg.gov.in/** पर अपलोड की जायेगी। सूची के विषय में दावा आपत्ति दिनांक 31.08.2022 तक विभाग के ई–मेल आई. डी. **cgrelief@gmail.com** पर की जा सकेगी। दिनांक 01.09.2022 को दावा आपत्ति का निराकरण एवं पुनः सूची विभाग की वेबसाईट **http://sdma.cg.gov.in/** पर अपलोड की जायेगी। दिनांक 05.09.2022 से 09.09.2022 तक आवश्यकतानुसार कंप्यूटर पर कार्य संबंधी कौशल परीक्षा एवं आपदा प्रबंधन कार्य संबंधी

साक्षात्कार का आयोजन किया जा सकेगा, जिसकी सूचना उम्मीदवारों को ई–मेल तथा विभागीय वेबसाईट पर दी जायेगी एवं जिसमें उम्मीदवार को आवेदन की प्रविष्टियों को प्रमाणित करने वाले मूल दस्तावेजों सहित उपस्थित होना अनिवार्य होगा। उपरोक्त आधार पर चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची दिनांक 12.09.2022 तक विभागीय वेबसाईट पर अपलोड की जायेगी ।

8/ अन्य शर्ते :–

a. नियुक्ति मार्च 2023 तक के लिये या जब तक भारत सरकार से राशि प्राप्त होती रहेगी तब तक के लिए रहेगी।

b. उपस्थिति हेतु बुलाये जाने पर उम्मीदवार को फोटोयुक्त पहचान–पत्र सहित उपस्थित होना होगा ।

c. आवेदक को हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आवश्यक है।

d. आवेदक अपनी अर्हताओं की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन करें, चयन में किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी।

e. आयु संबंधी प्रमाण के लिए हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी का प्रमाण–पत्र/अंक सूची मान्य की जायेगी।

f. विज्ञापित पद के अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में यह स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि संबंधित संस्था में कब से कब तक कार्यरत रहे हैं।

g. राज्य/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हेतु चयनित उम्मीदवार राज्य/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विकास एवं उन्नयन हेतु कार्य करेंगे। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्य हेतु चयनित उम्मीदवार को संबंधित जिले में कार्य करना होगा एवं आवश्यक होने पर राजधानी स्थित मुख्यालय बुलाया जा सकेगा।

h. राज्य/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हेतु चयनित उम्मीदवारों को एकमुश्त वेतन के अतिरिक्त कोई भी अन्य राशि/भत्ते के लिये पात्रता नहीं होगी।

12/8/22

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग